

संख्या: १५४/X-४-१५/१(६७)/२०१५

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर राजिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षण/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातपण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुसारण—४

देहरादून: दिनांक: ३५ मार्च, २०१५

विषय: जनपद—पिथौरागढ़ में चण्डाक—बैंस मोटर मार्ग (पोखरी) से रत्ताली (ततरोड़ा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.६८६, है० आरक्षित सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तीन करने के सम्बन्ध में।

नहोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—२६००/FP/UK/ROAD/10696/2015 दिनांक १४ मार्च, २०१५ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राजदपाल महोदय जनपद—पिथौरागढ़—बैंस मोटर मार्ग (पोखरी) से रत्ताली (ततरोड़ा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.६८६, है० आरक्षित सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तीन करने की संदेशान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०८०—११-०८/९८—एफ०८०८० दिनांक १३ फरवरी, २०१४ में निहित प्राप्तवानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पढ़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या कुओं का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाएं हेतु आपश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समादित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आई०८०८०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०—५—३/२००७—एफ०८०८० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आपश्यक का वचनवद्धका प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र सं०—५—३/२००७—एफ०८०८० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदर्शी एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०—एस०वी०—२६२२८ कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक—११ भूतल सौ०जी०अ०० काम्पलैक्स, फेज—१, लोधी झोड़, नई दिल्ली—११०००३ में जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण हारा मार उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आई०८०८०—५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०—५—३/२००७—एफ०८०८० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक—११ भूतल सौ०जी०अ०० काम्पलैक्स, फेज—१, लोधी झोड़, नई दिल्ली—११०००३ में जमा करने के पश्चात ही निर्माण स्वीकृति गाल्य होगी।

6. प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए अनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की विधि में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं यन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा यन अधिकार अधिनियम-२००६ में निहित प्राप्तवानों अनुसार समस्त आपश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवद्वय,

(प्रियकृष्ण पात्र)
अपर सचिव।

संख्या: १५१(१)/ X-४-१५/१८७/२०१६, तादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख यन संस्कार (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं यन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एन०आर०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं टकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग/पौरामूजौएसायाई, उत्तराखण्ड शासन।
4. यन संस्कार उत्तरी कुमार्क वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभारीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ यन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिकारी अभियंता, प्रम्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
8. निवेशक, राष्ट्रीय सूखना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस राजनावेश को एन०आर०सी० की येवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल:

आज्ञा त्र.

/V/M
(श्याम सिंह)
लिप सचिव।